

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1035 / 2009 / सीकर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, सीकर।

....अपीलार्थी

बनाम
मैसर्स, नरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी,
जटिया बाजार सीकर।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदनलाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बेद,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से
...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अपील्य प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, सीकर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 100/वैट /07-08/उपा/अपील्स/सीकर में पारित आदेश दिनांक 12.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, सीकर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2007 के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 61, व 55 के तहत पारित आदेश में सृजित मांग राशि रू0 22,67,401/- को अपास्त किया गया एवं प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की गई।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी-व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 05.05.07 को किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा देसाई छाप बीड़ी का क्रय-विक्रय किया जाना पाया गया। सर्वेक्षण पर पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त बीड़ी का क्रय बिना वेट इनवाईस प्राप्त किये जरिये चालान किया जा रहा है तथा बीड़ी का विक्रय भी बिना वेट इनवाईस जारी किये चालान के जरिये किया जा रहा है। जाँच करने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा चालू वर्ष 2007-08 में दिनांक 04.04.07 के पश्चात् वक्त सर्वेक्षण तक रूपये 39,29,656/- की बीड़ी का विक्रय बिना वेट वसूल किये किया गया है जिसके लिए प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी ने जवाब एवं लेखा-पुस्तकें जाँच हेतु प्रस्तुत कीं जिनकी जाँच पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-
 1. वेट 07 दिनांक 04.04.07 से 05.05.07 तक कुल खरीद 77,87,912.12 एवं इनपुट टैक्स रूपये 9,73,493.01
 2. वेट 08 दिनांक 04.04.07 से 05.05.07 तक कुल विक्री 59,47,278.22 एवं आउटपुट टैक्स रूपये 2,30,083.43,- प्रत्यर्थी, द्वारा छाया प्रतियां पेश की गई।प्रत्यर्थी-व्यवहारी के खातों में विक्रेता फर्म मैसर्स देसाई ब्रदर्स लि. का खाता होना पाया गया। सर्वेक्षण दिनांक को प्रत्यर्थी फर्म मैसर्स देसाई ब्रदर्स लि. द्वारा जारी चालानों पर टिन नम्बर अंकित नहीं पाये गये थे। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी के जवाब से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी पर अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत रूपये 59,47,278.22/- के बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर

लगातार.....2

रूपये 7,43,410/-, शास्ति धारा 61 के तहत रूपये 14,86,820/- व ब्याज धारा 55 के तहत रूपये 37,171/- आरोपित करते हुए कुल रूपये 22,67,401/- की मांग कायम की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कथन किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है, उन्होंने तर्क दिया कि दिनांक 04.04.2007 के पश्चात बीडी तम्बाकू उत्पाद कर योग्य हो गया था परन्तु वक्त सर्वेक्षण 39,29,656/- रूपये की बीडी बिना वेट वसूल किये चालानों के माध्यम से बिक्री की है अपीलार्थी ने मैसर्स देसाई ब्रदर्स लि० से देसाई छाप बीडी क्रय की गई थी जबकि विक्रेता व्यवहारी ने भी अपीलार्थी के पक्ष में चालान जारी किये है जिन पर टिन नं० अंकित होना नहीं पाये गये, न ही अपीलार्थी द्वारा कर जमा करवाया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस जारी करके कर व शास्ति आरोपण किया है वह विधिनुकूल है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि की निर्धारण अधिकारी ने कुल खरीद 77,87,912.12 पर इनपुट टैक्स रूपये 9,73,493.01 का क्रेडिट नहीं दिया गया। यदि यह स्वीकृत किया जाता तो कर, ब्याज व शास्ति आरोपित ही नहीं की जा सकती थी। उनका यह भी कथन है कि बीडी पर कर प्रथम बार राजस्थान में दिनांक 04 अप्रैल, 2007 से लगाया गया। बीडी व्यवहारियों द्वारा वेट इनवाईस जारी नहीं की गयी थी क्योंकि एम्पावर्ड कमेटी द्वारा बीडी को करमुक्त रखे जाने का आश्वासन दिया गया था। फलतः बीडी के व्यवहारी बीडी का विक्रय चालान पद्धति से कर रहे थे। इस प्रकार करापवंचन नहीं की गयी थी जिससे बिलों के जारी किये जाने में विलम्ब हुआ। उन्होंने यह भी कथन किया कि सर्वेक्षण के समय चालानों की प्रतियाँ उपलब्ध करा दी थीं।

7. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित मैसर्स पताका इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर में पारित निर्णय (टैक्स अपडेट वोल्यूम 21 पेज 171) का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त प्रकरण व प्रत्यर्थी के हस्तगत प्रकरण के तथ्य समान हैं। उन्होंने यह भी कथन किया कि इस प्रकरण में इनपुट टैक्स रूपये 2,30,083/- अधिक था। अतः कोई करापवंचन नहीं था। उन्होंने शास्ति के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्नांकित दृष्टान्त उद्धरित किये

1. CTO Vs. B.K. Traders 138 STC 614 (RHC)
2. Lord Venkeshwar Caterers (2007) 19 Tax Update 85 (RHC)

अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।


8. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया उल्लेखनीय कि अधिनियम के अन्तर्गत कर जमा कराने संबंधी अधिसूचना अलग से जारी नहीं की गई, अतः नई अधिसूचना जारी होने तक वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ, 4(69) टैक्स/डिवीजन/95/पार्ट 133 दिनांक 17.02.2004 प्रभावशील थी जिसके अनुसार


विभिन्न श्रेणियों के व्यवसायियों को अपना कर किस प्रकार से जमा कराना है, स्पष्ट किया गया है, अतः उक्त अधिसूचना के अनुसार व्यवहारी की करदेयता त्रैमासिक कर जमा कराने की थी तथा उसको आलोच्य अवधि का कर दिनांक 30.06.2007 के पश्चात् इस अधिसूचना के आईटम संख्या (ई) में होने के कारण दि 14.7.2007 तक जमा कराना था। एम्पावर्ड कमेटी ने तत्समय तम्बाकू उत्पादों पर सभी राज्यों में एक साथ अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर वैट आरोपित करने की स्वतंत्रता राज्यों को दी गयी थी तथा इस निर्णय के विरोध स्वरूप तम्बाकू उत्पाद निर्माताओं द्वारा एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर वैट के अन्तर्गत करमुक्ति हेतु अपना पक्ष रखा गया था तथा एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाने हेतु सलाह देने का आश्वासन दिया गया था। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत व्यवहारियों द्वारा क्रेताओं की स्थिति स्पष्ट होने तक चालान पर अपना माल सप्लाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष मैसर्स पाताका इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन द्वितीय, जयपुर के निर्णय में जो 21 टीयूडी पार्ट 4 पृष्ठ संख्या 171 पर प्रकाशित है में समान तथ्यों पर निर्णीत किया गया है एवं व्यवहारी को राहत दी गई है। विभाग द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय कर बोर्ड के निर्णय को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति को निरस्त किया है। उक्त निर्णय सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन द्वितीय, जयपुर बनाम पताका इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, जयपुर एसटीआर पिटीशन नं० 17/2011 निर्णय दिनांक 29.08.2016 के द्वारा निर्णीत किया गया है तदनुरूप माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है :-

"In my view, the Tribunal has rightly found that no case is made out for imposing of penalty u/ sec. 61 and in my view, it is a finding of fact essentially based on the material on record and no question of law emerges for consideration in the instant petition and this court does not find any perversity in the order impugned so as to call for interference of this court, the petition being devoid of merits stands dismissed."

9. उपरोक्त निर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण से मेल खाते हैं। अपीलार्थी को कर व आनुषांगिक ब्याज जमा करवाने के बिन्दु पर कोई ऐतराज नहीं है, परन्तु करापवंचन का दोषी मनोभाव स्पष्ट नहीं होने से शास्ति आरोपण का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुरूप कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय अस्वीकार किया जाता है एवं राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है परन्तु शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि कर विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


25.5.2017
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष